भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 683 का उत्तर

लोहारू से पिलानी तक नई रेलवे लाइन

683. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के झुंझुनू जिले के लिए लोहारू से पिलानी तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा पूर्व में उक्त रेलवे लाइन का सर्वेक्षण भी कराया गया है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में उक्त रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराया गया है;
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(छ) क्या सरकार ने उक्त रेलवेलाइन का सर्वेक्षण पूरा करने के बाद रेलवे लाइन बिछाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/निवार्चन-क्षेत्र-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों,

रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों, पर्यटन और उद्योग आदि से संपर्कता आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए लोहारू-पिलानी नई लाइन (24 किमी) के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) को मंजूरी दे दी गई है। भूमि सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

परियोजना की मंजूरी के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से आवश्यक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। चूंकि परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सुनिश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

रेल परियोजना/ओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना/ओं स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना विशिष्ट स्थल पर किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना/ओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****